


# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

::कार्यालय आदेश::

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर एस.बी.सिविल याचिका संख्या 2241/2021 गोविन्द राम साखी, स्थानान्तरणाधीन प्रधानाचार्य, (राउमावि, भाण्डूकलां, जिला जोधपुर से राउमावि भावी, बिलाड़ा जिला जोधपुर) बनाम राज्य सरकार व अन्य प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम स्थगनादेश दिनांक 09.02.2021 की अनुपालना में इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश दिनांक 15.02.2021 द्वारा श्री गोविन्द राम साखी को माननीय न्यायालय के याचिका में पारित आगामी/अन्तिम निर्णयाधीन राउमावि भाण्डूकलां, जोधपुर में यथावत एवं स्थगन से प्रभावित प्रधानाचार्य श्रीमती कंचन चारण का अन्तरिम समायोजन राउमावि भावी, बिलाड़ा जिला जोधपुर किया गया था।

श्रीमती कंचन चारण द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपना समायोजन राउमावि घाणामगरा, बिलाड़ा जिला जोधपुर में प्रधानाचार्य के पद पर किये जाने का निवेदन किया गया। श्रीमती कंचन चारण के उक्त अनुरोध को स्वीकार करते हुए उनका अन्तरिम समायोजन राउमावि भावी बिलाड़ा, जोधपुर के स्थान पर राउमावि घाणामगरा, बिलाड़ा जोधपुर माननीय न्यायालय के याचिका में पारित आगामी/अन्तिम निर्णय के अध्यक्षीन किया जाता है।


  
(सौरभ स्वामी)  
आई.ए.एस

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा  
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: शिविरा-मा./संस्था/बी-2/एसबीसिया/गोविन्दराम/2241/2021/179 दिनांक: 24/02/2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जोधपुर संभाग, जोधपुर।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, जोधपुर।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक जोधपुर।
6. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, बिलाड़ा जिला जोधपुर।
7. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जयपुर।
8. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
9. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
10. श्रीमती कंचन चारण, प्रधानाचार्य को आदेश की पालनार्थ।
11. निजी/रक्षित पत्रावली।

  
संयुक्त निदेशक(कार्मिक)